


तार का पता : "मिनीस्टील"  
Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सं० 14014/5/2007-  
Ad. (6)

No. \_\_\_\_\_  
14014/5/2007-स्वा.प्र.  
GOVERNMENT OF INDIA  
इस्पात मंत्रालय  
MINISTRY OF STEEL  
उद्योग भवन  
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110011

New Delhi-11001 दिनांक 22/8/2007

रोबा में,  
संलग्न सूची के अनुसार

**विषय:- इस्पात मंत्रालय में इस्पात कक्ष में दीमक का इलाज करने एवं लकड़ी का पैनल बदलने के लिए मुहरबंद निविदाओं के संबंध में ।**


अधोहस्ताक्षरी को इस्पात मंत्रालय में इस्पात कक्ष में दीमक का इलाज करने एवं लकड़ी का पैनल बदलने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने का निदेश हुआ है । निविदाकर्ता को लकड़ी का पैनल बनाने से पहले दीवार का तथा पैनल बनाते समय लकड़ी को दीमक-रोधी treatment करना होगा तथा कम-से-कम दो वर्ष तक इसका रख-रखाव करना होगा। यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य के निष्पादन की इच्छुक है तो अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 09/07/2007 प्रातः 11.30 बजे तक टेंडर बाक्स उद्योग भवन में जाल दें । प्राप्त निविदाओं को उसी दिन प्रातः 12.00 बजे इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कमरा नं. 74 में खोला जाएगा।

2. इच्छुक प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इस कार्य की प्रकृति एवं इसके निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी के लिए तथा कार्य-स्थल की जाँच के लिए किसी भी कार्य-दिवस में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कमरा नं. 74 में संपर्क कर सकते हैं।

3. अनुबंध के लिए अर्हताएँ एवं कार्य के निष्पादन से संबंधित शर्तें अनुलग्नक में वर्णित हैं। इन अर्हताओं को पूरा न करने वाली फर्म की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्य के निष्पादन के संबंधित शर्तें पूरी न किए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी अधि से पूर्व ही अनुबंध को निस्तारित कर सकते हैं।

4. इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास दिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

5. यह नोटिस इस्पात मंत्रालय की web-site [www.steel.nic.in](http://www.steel.nic.in) पर भी उपलब्ध है ।


भवदीय,  
  
(दर्शन कुमार सोलंकी)  
अनुभाग अधिकारी

Annexure to Ministry of Steel's letter No. 14014/5/2006-Ad(G) dated 27/6/2007

Technical and Financial requirement for award of AMC for maintenance and repair of furniture items in Ministry of Steel and residence of Steel Minister are as follow :-

- a) The firm must be registered with Delhi Government for Work Contract. No sub-contracting of any item of AMC is allowed..
- b) The firm must have at least two year's experience doing maintenance and repair work in Government Organisations/Public Sector Undertakings and should have a turnover of over Rs. 2 lakhs per year during the last two years. Certificates from at least two suc existing clients for satisfactory performance in maintenance and repair work must be attached.
- c) The firm must have PAN and TIN number in its name or name of proprietor.
- d) Income Tax Clearance Certificate or income tax returns and /or sales tax returns for at least one of the last two years must be attached.
- e) The firm shall give detailed address of its workshop and showroom (if any) along with telephone numbers.
- f) The firm is required to deposit EMD of Rs. 5,000/- in the form of either Bank Draft or Bankers cheque etc. in the name of Pay & Accounts Officer, Ministry of Steel. Quotations received without EMD shall be rejected. EMD of unsuccessful bidders will be returned within one month of finalization of AMC.
- g) All the material to be used shall be ISI mark. Any substandard material shall be rejected and payment for any item of work in which such material is used shall not be made.

\*\*\*\*\*



अशोक कुमार नोलको  
अनुमान प्र. कारो  
इन्फोर्मेशन मंत्रालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली